

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक, माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रवेशिका

परीक्षा – वर्ष 2026

परीक्षा कार्यक्रम

समय प्रातः 8.30 से 11.45 तक

वार एवं दिनांक	विषय (कोड)
गुरुवार 12 फरवरी 2026	अंग्रेजी (02)
शुक्रवार 13 फरवरी 2026	अन्तराल
शनिवार 14 फरवरी 2026	ऑटोमोटिव (101)/सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/स्वास्थ्य देखभाल (103)/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (IT & ITes)(104), फुटकर बिक्री (105)/ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106)/ निजी सुरक्षा (107)/ अपैरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग(108)/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर (109)/कृषि (110)/प्लम्बर (111)/टेलिकॉम (112)/बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस (113)/कन्स्ट्रक्शन (114)/फूड प्रोसेसिंग(115)
रविवार 15 फरवरी 2026	रविवार अवकाश
सोमवार 16 फरवरी 2026	अन्तराल
मंगलवार 17 फरवरी 2026	सामाजिक विज्ञान (08)
बुधवार 18 फरवरी 2026	अन्तराल
गुरुवार 19 फरवरी 2026	हिन्दी (01)
शुक्रवार 20 फरवरी 2026	अन्तराल
शनिवार 21 फरवरी 2026	विज्ञान (07)
रविवार 22 फरवरी 2026	रविवार अवकाश
सोमवार 23 फरवरी 2026	अन्तराल
मंगलवार 24 फरवरी 2026	गणित (09)
बुधवार 25 फरवरी 2026	अन्तराल
गुरुवार 26 फरवरी 2026	संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्रम्) (95/1)
शुक्रवार 27 फरवरी 2026	तृतीय भाषा- संस्कृत (71)/उर्दू (72)/गुजराती (73)/सिन्धी (74)/पंजाबी (75).
शनिवार 28 फरवरी 2026	संस्कृतम् (द्वितीय प्रश्न पत्रम्) (95/2)

नोट:-

1. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
2. उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र एवं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा/जन्मजात दिव्यांगता यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD (ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिस्ऑर्डर, प्रमस्तिष्कीय, पक्षाघात, बहुदिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया) आदि RPWD Act 2016 में अंकित श्रेणियों के दिव्यांग परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय एवं नियमानुसार श्रुतलेखक भी देय होगा। (परीक्षा प्रपत्र-33 के परिशिष्ट-11 के अनुरूप)
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक भी देय होगा।
5. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात को दुराचरण माना जाएगा।
6. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।
7. परीक्षा कक्ष में कैलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना निषेध है।
8. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
9. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्तिम लिखित पृष्ठ पर "समाप्त" शब्द लिखकर शेष रिक्त पृष्ठों पर तिरछी लाईन खींचें।

सचिव